

ग्रामीण परविहन नीतिके पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र

चर्चा में क्यों?

11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश परविहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परविहन नीतिके क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रस्तावित नवीन परविहन नीतिके तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) मॉडल को 1 मई, 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वदिशा ज़िले में क्रियान्वित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा नरिदेश दिये गए हैं।

प्रमुख बडि

- गौरतलब है कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परविहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये परविहन वभिाग द्वारा अटल बहिरि वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परविहन नीति प्रस्तावित की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे रोलआउट किये जाने की योजना है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान ने वगित दनिों ग्रामीण क्षेत्रों में परविहन व्यवस्था के पुनः सुचारु संचालन के लिये परविहन नीति लाने के नरिदेश दिये थे।
- ग्रामीण परविहन के लिये वदिशा ज़िले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चहिनति कयिा गया है, जनिकी कुल लंबाई 1513 कर्मी. है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इनके आसपास 546 ग्राम स्थिति हैं, जसिसे 4 लाख 70 हज़ार ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वति होगी।
- प्रस्तावित ग्रामीण परविहन नीतिके तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इस ग्रामीण परविहन सेवा के लिये संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा परविहन सेवा के रूप में नरितर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जति कयिे गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के वरिद्ध नरिधारति मूलयानुसार प्रोत्साहन राशआगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत इच्छुक वाहन संचालक वैध प्रपत्र होने पर ज़िला परविहन कार्यालय में आकर अथवा परविहन वभिाग की वेबसाइट पर जाकर नरिधारति 76 ग्रामीण मार्गों में से कसिी एक मार्ग पर अथवा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मार्गों पर वाहन संचालन के लिये परमति प्राप्ति करने का आवेदन कर सकते हैं।